(149)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3303–दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30–06–2014 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोहरा तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर के प्रकरण क्रमांक 33/अ–12/2013–14.

....

शिवनारायण आत्मज श्री श्रीकिशन
निवासी ग्राम सोनकच्छ तहसील व
जिला सीहोर म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

देवकुंवर बाई पत्नि हेमसिंह
निवासी ग्राम सोनकच्छ तहसील
व जिला सीहोर म0प्र0

––– अनावेदिका

....

श्री एन0 एस0 ठाकुर अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 एस0 मीना अभिभाषक, अनावेदिका

....

आदेश

(आज दिनांक 16/8/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोहरा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदिका देवकुंवर बाई पत्नि हेमसिंह निवासी कृषक ग्राम सोनकच्छ तहसील व जिला सीहोर भूमि सर्वे कमांक 246 रकवा 0.162 का प्रकरण

कमांक 33/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.14 द्वारा सीमांकन धारा 129 के तहत कराया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सूचना पत्र जारी नहीं किये गये ना ही उन्हें सूचना एवं सुनवाई का तथा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। कपोल कल्पित प्रकिया को अपनाते हुये सीमांकन किया गया है। आदेश पत्रिका पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हे एवं त्वरिता अपनाते हुये सीमांकन बिना मौके पर जाये किया हुआ हैं इस प्रकार घोर दुषित तथा अवैधता एवं अनियमिता पूर्ण सीमाकंन किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.1.2014 को प्रकरण पंजीबद्व कराया गया है परंतु आदेश पत्रिका पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 25.2.14 नियत की गई उस दिनांक को आदेश पत्रिका नहीं लिखी गई और सीधे प्रकरण दिनांक 30.6.14 को प्रकरण सुनवाई में लिया गया। इस प्रकार चार माह बाद अचानक प्रकरण में सुनवाई में लिया जाकर विधि विरूद्व तरीके से प्रकरण का संचालन किया गया हैं प्रथम आदेश पत्रिका में एक अंत तक मेढ़िया कृषकों को सूचना पत्र जारी नहीं किये गये। प्रथम आदेश पत्रिका में कांट–छांट की गई है उस पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नही किये गये हैं इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विध एवं प्रकिया के विपरीतं दूषित आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक शिवनारायण को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है, और न ही विधिवत सूचना पत्र की तामील कराई गई है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 129 के मुख्य प्रावधान सूचना पत्र जारी करने का घोर उल्लंघन कर दूषित आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.6.14 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के पंचनामा पर हस्ताक्षर हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रकिया के तहत किया गया उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा जो तर्क इस न्यायालय में यह कहते हुये उठाया गया है कि प्रकरण में संलग्न पंचनामा में एक

लाईन अलग से बढ़ाई गई है। इसके तारतम्य में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि यह तर्क उसी समय अधीनस्थ न्यायालय में उठाई जाने चाहिये। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.6.14 उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

4– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में संलग्न पृष्ठ 15 पर सूचना पत्र में रामफूल आत्मज श्री किशन, कृपाल सिंह आत्मज रामनाथ, श्याम सिंह आत्मज रामसिंह समस्त निवासीगण सोनकच्छ के लिये सूचना पत्र जारी दिनांक 25.6.14 को किया गया है, जिसमें दिनांक 29.6.14 को समय 1.00 बजे सीमांकन का समय दिया गया है लेकिन मेढ़िया/पड़ोसी कास्तकार को शिवनारायण को सूचना पत्र में नाम नहीं दिया गया है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मेढ़िया/पड़ोसी कास्तकार को सूचना ही नहीं थी और म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 का पालन नहीं किया गया है। ''यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 30–6–14 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित

पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित। ''इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। ''स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक को सूचना पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा के प्रकरण कमांक 33/अ–19/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि ग्राम सोनकच्छ तहसील व जिला सीहोर भूमि सर्वे कमांक 246 रकवा 0.162 का सीमांकन करने हेतु टीम गठित कर तथा उभयपक्ष को सूचना व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर